

कार्यालय आयुक्त / OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर आयुक्तालय / CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX COMMISSIONERATE
142-बी हिरण मगरी सेक्टर -11, उदयपुर (राजस्थान)/ 142-B, HIRAN MAGRI, SECTOR-11, UDAIPUR(RAJ.)
दूरभाष सं./Tele. No. 0294-2486751 व फैक्स नं./Fax.No. 0294-2483648

स्थापना आदेश संख्या-13/2021
दिनांक: 15.09.2021

मुख्य आयुक्त कार्यालय सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर के स्थापना आदेश संख्या 84/2021 दिनांक 03.09.2021 के तहत इस आयुक्तालय को आवंटित, मुख्य आयुक्त कार्यालय के पूर्व आदेशों की अनुपालना में कार्यग्रहण करने वाले अधीक्षकों तथा वर्तमान में पदस्थापित अधीक्षकों के कार्यभार में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित अधीक्षकों को उनके नाम के आगे दर्शाए स्थान अनुसार स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जाता है:-

S. No	Name of the officer Shri/Smt./Ms.	From	Posted To
1	VIVEK SHRIVASTAV	ON JOINING	AUDIT/SRC/TAR/SVLDRS/ INSPECTION/O&M/SEVOTAM, SECTION OF CGST (HQ) UDAIPUR
2	MANGI LAL MEENA	ON JOINING	CGST RANGE-37 OF DIVISION-H, KOTA
3	RAMJI LAL VERMA	ON JOINING	CGST DIVISION-G, CHITTORGARH
4	NANU RAM MAHAWAR	ON JOINING	CGST DIVISION-E, BHILWARA
5.	RAMESH KUMAR SAINI	TECHNICAL, INSPECTION, PQ, RTI, SEVOTAM, O&M SECTION OF CGST HQ. UDAIPUR	REVIEW SECTION OF CGST (HQ) UDAIPUR
6.	RAJESH KUMAR VAISHNAV	LEGAL SECTION OF CGST (HQ) UDAIPUR	LEGAL/TECHNICAL/PQ/RTI SECTION OF CGST HQ. UDAIPUR
7.	SUNIL KUMAR ROHILLA	CGST RANGE-34 OF DIVISION- H, KOTA WITH ADDITIONAL CHARGE OF CGST RANGE-36 OF DIVISION-H, KOTA	CGST RANGE-34 OF DIVISION-H, KOTA
8.	SAURABH MATHUR	CGST RANGE-37 OF DIVISION- H, KOTA	CGST RANGE-36 OF DIVISION-H, KOTA

यह आदेश आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

Note:

1. All the Representation/ Requests received during AGT have been disposed of, by this order, further representation will not be entertained before joining at new place of posting.
2. The Deputy/Assistant Commissioner should ensure proper handing /taking over of the charges. List of all urgent and time bound matters to be prepared and handed over to the controlling officer and officers taking over the charge.
3. The Deputy/Assistant Commissioner are directed that in respect of section of Division Office the charge of section is to be given in the compliance of Transfer policy guidelines 2018.
4. The transfer of the officers mentioned at Sl. No 2 of above order are on their own request, therefore, they shall not be entitled for any TTA or joining time at the time of their joining at new place of posting.

— Eo —
(नरेश कुमार सैनी)
संयुक्त आयुक्त(का. एवं सत.)
दिनांक: 15.09.2021

फा.स. 11-36(03)स्था./उदय/2020/Pt-I/ 3214

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 निजी सचिव, मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।

2. निजी सहायक, आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, उदयपुर।
3. अपर/संयुक्त आयुक्त(सी.सी.ओ), सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
4. अपर/संयुक्त आयुक्त(का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर/अलवर, अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, जयपुर एवं अपीलस, जयपुर/जोधपुर।
5. सहायक आयुक्त, सी.जी.एस.टी. संभाग-ए-बी-सी, उदयपुर, /डी-कांकरोली/ ई-एफ भीलवाड़ा / जी- चित्तौड़गढ़ / एच-आई कोटा।
6. समस्त सहायक आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, उदयपुर
7. अधीक्षक (सतर्कता) सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, उदयपुर।
8. व्यक्तिगत प्रति/सेवा पुस्तिका/गार्ड फाइल
9. अधीक्षक(कम्प्यूटर) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर (for uploading the order on departmental website)
10. नोटिस बोर्ड।

नरेश कुमार सैनी
15-09-21
(नरेश कुमार सैनी)
संयुक्त आयुक्त(का. एवं सत.)